"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 124] रायपुर, शनिवार, दिनांक 30 मार्च 2013—चैत्र 9, शक 1935

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 28 मार्च 2013

अधिसूचना

क्रमांक एफ-10-11/2013/वाक/पांच (16).—छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्रमांक 2 सन् 2005) की धारा 15-ख द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्द्वारा, नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट माल के वर्ग को कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट सीमा तक दिनांक 01-04-2013 से 31-03-2014 तक की अवधि के लिये उक्त अधिनियम के अधीन कर के भुगतान से छूट प्रदान करती है :—

अनुसूची

अ. क्र. (1)	वस्तुओं की श्रेणी (2)	छूट की सीमा (3)
1.	लालटेन के स्पेयर पार्ट्स	संपूर्ण कर
2.	खुदरा विक्रय मूल्य रु. 3,000/- तक के मोबाईल फोन	अंशत: इस प्रकार जिससे कि कर की दर घटकर 5% हो जाए.
3.	मोबाईल फोन के पार्ट्स तथा एसेसरीज	अंशत: इस प्रकार जिससे कि कर की दर घटकर 5% हो जाए.

(1)	(2)	(3)
4.	अन-ब्रांडेड टोस्ट	अंशत: इस प्रकार जिससे कि कर की दर घटकर 5% हो जाए.
5.	सुगंधित दूध (फ्लेवर्ड मिल्क), श्रीखंड, पनीर तथा क्रीम	अंशत: इस प्रकार जिससे कि कर की दर घटकर 5% हो जाए.
6.	फूड कलर	अंशत: इस प्रकार जिससे कि कर की दर घटकर 5% हो जाए.
7.	इंडक्शन कुकर	अंशत: इस प्रकार जिससे कि कर की दर घटकर 5% हो जाए.
8.	एल.ई.डी. बल्ब एवं लाईट	अंशत: इस प्रकार जिससे कि कर की दर घटकर 5% हो जाए.
9.	कम्प्यूटर में उपयोग होने वाले यू.पी.एस. (अनइंटरेप्टेड पावर सिस्टम)	अंशत: इस प्रकार जिससे कि कर की दर घटकर 5% हो जाए.
10.	मेडिसिनल ऑक्सीजन एवं नाईट्रस ऑक्साईड गैस	अंशत: इस प्रकार जिससे कि कर की दर घटकर 5% हो जाए.
11.	पेट फूड	अंशत: इस प्रकार जिससे कि कर की दर घटकर 5% हो जाए.
12.	मिनरल वाटर एवं सील्ड कंटेनर वाटर	अंशत: इस प्रकार जिससे कि कर की दर घटकर 5% हो जाए.
13.	मार्बल, ग्रनाईट, धौलपुर स्टोन एवं कोटा स्टोन	अंशत: इस प्रकार जिससे कि कर की दर घटकर 5% हो जाए.
14.	लाईट डीजल ऑयल (L.D.O.)	अंशत: इस प्रकार जिससे कि कर की दर घटकर 14% हो जाए.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. एस. मिश्र, अपर मुख्य सचिव.

रायपुर, दिनांक 28 मार्च 2013

क्रमांक एफ-10-11/2013/वाक/पांच (16).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10-11/2013/वाक/पांच (16), दिनांक 28-03-2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. एस. मिश्र, अपर मुख्य सचिव.

Raipur, the 28th March 2013

NOTIFICATION

No. F-10-11/2013/CT/V (16).—In exercise of the powers conferred by section 15-B of the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 (No. 2 of 2005), the State Government hereby exempts the class of goods specified in column (2) of the Schedule below from payment of tax under the said Act to the extent specified in column (3) for the period from 01-04-2013 to 31-03-2014 :—

SCHEDULE

S. No. (1)	Class of goods (2)	Extent of Exemption (3)
1.	Spare parts of Lantern	Whole of tax
2.	Mobile phone upto the maximum retail price of Rs. 3,000/-	Partly so as to reduce the rate of tax to 5%
3.	Parts & accessories of mobile phone	Partly so as to reduce the rate of tax to 5%
4.	Un-branded toast	Partly so as to reduce the rate of tax to 5%
5.	Flavoured milk, Shrikhand, Paneer and Cream	Partly so as to reduce the rate of tax to 5%
6.	Food colour	Partly so as to reduce the rate of tax to 5%
7.	Induction cooker	Partly so as to reduce the rate of tax to 5%
8.	L.E.D. bulb and light	Partly so as to reduce the rate of tax to 5%
9.	U.P.S. (Un-interrupted Power System) used in computer.	Partly so as to reduce the rate of tax to 5%
10.	Medicinal Oxygen and Nitrous Oxide Gas	Partly so as to reduce the rate of tax to 5%
11.	Pet food	Partly so as to reduce the rate of tax to 5%
12.	Mineral water and sealed container water	Partly so as to reduce the rate of tax to 5%
13.	Marble, Granite, Dhoulpur stone and Kota stone	Partly so as to reduce the rate of tax to 5%
14.	Light Diesel Oil (L.D.O.)	Partly so as to reduce the rate of tax to 14%

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
D. S. MISRA, Additional Chief Secretary.

रायपुर, दिनांक 28 मार्च 2013

अधिसूचना

क्रमांक एफ-10/11/2013/वाक/पांच (17).—छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्रमांक 2 सन् 2005) की धारा 15-ख द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार एतद्द्वारा, अनुसूची के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट व्यापारियों के वर्ग को, कॉलम (3) में उल्लेखित सीमा तक एवं कॉलम (4) दी गई निर्बंधन एवं शर्तों के अध्यधीन दिनांक 01-04-2013 से 31-03-2014 तक उक्त अधिनियम

की धारा 27 की उपधारा (2) के उपबंधों से छूट प्रदान करती है.

अनुसूची

अ. क्र. (1)	व्यापारियों का वर्ग (2)	छूट की सीमा (3)	निर्बंधन तथा शर्तें (4)
1.	छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्रमांक 2 सन् 2005) के अंतर्गत पंजीयत व्यवसायी, जो कि संकर्म संविदा के अनुक्रम में माल का प्रदाय करते हैं.	संकर्म संविदा के तहत की जाने वाले स्रोत पर कर की कटौती उसी दर से की जायेगी, जहां प्रशमन की दर 2 प्रतिशत से कम हो.	कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट व्यापारी द्वारा अधिनियम की धारा 10 के अधीन देय कर के विरुद्ध एकमुश्त प्रशमन के भुगतान की अनुज्ञा प्राप्त कर ली गई हो.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. एस. मिश्र, अपर मुख्य सचिव.

रायपुर, दिनांक 28 मार्च 2013

क्रमांक एफ-10/11/2013/वाक/पांच (17).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की **अधिसूचना क्रमांक** एफ-10/11/2013/वाक/पांच (17), दिनांक 28-03-2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. एस. मिश्र, अपर मुख्य सचिव.

Raipur, the 28th March 2013

NOTIFICATION

No. F-10/11/2013/CT/V (17).—In exercise of the powers conferred by section 15-B of the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 (No. 2 of 2005), the State Government hereby exempts the class of dealers specified in column (2) from the provisions of section 27 (2) to the extent specified in column (3) subject to restrictions and conditions specified in column (4) of the Schedule below for the period from 01-04-2013 to 31-03-2014 :—

SCHEDULE

S. No. (1)	Class of dealers (2)	Extent of exemption (3)	Restrictions and conditions (4)
1.	Dealers registered under the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 (No. 2 of 2005) under taking works contracts involving supply of goods.	The amount to be deducted by the person letting out works contracts towards the tax payable shall be at the rate of composition if it is less than 2 percent.	The dealer referred in column (2) has obtained the permission to make payment in lump sum by way of composition against the payable tax under section 10 of the Act.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
D. S. MISRA, Additional Chief Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.